भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3994
दिनांक 25 मार्च, 2025/ 4 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सीसीटीएनएस और आईसीजेएस

3994. डॉ. भोला सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीसीटीएनएस और आईसीजेएस देश में नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के साथ एकीकृत/अनुकूलित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपराध के स्थान को रिकार्ड करने के लिए कोई एप्लिकेशन विकसित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): एनसीआरबी ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) प्रणाली में नए आपराधिक कानूनों (एनसीएल) के कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक संशोधन के साथ सॉफ्टवेयर पैच साझा किए हैं। अपराध स्थल के विवरण जैसे कि घटनास्थल का मेजर और माइनर स्थान, बीट नंबर, अक्षांश और देशांतर आदि इनपुट करने का प्रावधान सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में पहले से ही उपलब्ध है। तलाशी और जब्ती गतिविधियों सहित अपराध स्थल पर जाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक एप्लीकेशन (ई-साक्ष्य) भी विकसित किया गया है।

****